लैंगिक मुद्दे-क्या ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' अभियान कर सकेगा हल

—डॉ. पूरन सिंह एवं अजय कुमार

यदि भारत लगातार नीचे गिरते हुए बाल लैंगिक अनुपात के रुझान को वास्तव में उलटना चाहता है और आगे चल कर भविष्य में इसे सुधारना चाहता है तो उसे महिलाओं को समाज में गौरवपूर्ण स्थान देना होगा और महिलाओं को कमतर समझने की पारम्परिक सोच से बचना होगा। लड़कियों की सुरक्षा के लिए हाल में ही शुरू किए गए ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' अभियान के साथ ही गंभीर रूप ले चुके महिला लिंग से जुड़े विषयों के समाधान की एक बहु-आयामी नीति भी आवश्यक है।

ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी और उन्हें आदर दिया जाता था। उनकी स्थिति अच्छी थी। समय बीतने के साथ उनका दर्जा घटना शुरू हुआ और इतिहास के मध्यकालीन दौर में ये बहुत तेजी से नीचे गिरा। पर्दा, बाल विवाह, दहेज, लड़कियों के साथ भेदभाव, सती प्रथा और ऐसी अनेक वे बातें जो महिलाओं के विरुद्ध जाती थीं, समाज में चलन में आ गई। यद्यपि भारत में उच्च–वर्ग की महिलाओं को शिक्षा समेत कई सुविधाएं प्राप्त हैं किन्तु आमतौर पर महिलाएं अपयश, अभाव और अन्य बाधाओं से ग्रस्त हैं।

महिलाओं की साक्षरता दर 1951 के 8.86 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65.74 प्रतिशत हो जाने और अशोधित साक्षरता दर 1901 के 0.60 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 56.99 प्रतिशत हो जाने के बावजूद उनके एक उस बहुत सूक्ष्म वर्ग, जिसे शिक्षा, सरकारी नौकरी मिली या जिसकी माली हालत बेहतर है, को छोड़ कर शेष की स्थिति जस की तस है। नीचे दी गई तालिका में पिछली शताब्दी के दौरान महिलाओं की स्थिति प्रतिकूल लैंगिक अनुपात–बाल लैंगिक अनुपात(प्रति एक हजार पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या) का विवरण है :

भारत में लैंगिक अनुपात 1901–2011

वर्ष	1901	1911	1921	1931	1941	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
लैंगिक अनुपात	972	964	955	950	945	946	941	930	934	927	933	940

पिछले 50 सालों के दौरान बाल लैंगिक अनुपात (0–6 जनसंख्या) में भी गिरावट का रुझान दिखता है और यह 1961 के 976 से घटकर 2011 में 914 तक लुढ़क गया है। आठ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम,पंजाब और तमिलनाडु को छोड़कर भारत के सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड में गिरावट बहुत ही ज्यादा है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बाल लैंगिक अनुपात घटा है। विचारणीय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में यह गिरावट 2011 में शहरी क्षेत्र की तुलना में तीन

गुना अधिक है– यह बहुत अधिक चिंता का विषय है । वह भी तब जबकि सभी सरकारों ने इसको रोकने के प्रयास किए थे।

बाल लैंगिक अनुपात सूचकांक में गिरावट/परिवर्तन समाज के सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिमानों, विशेषकर बालिकाओं के प्रति उनके व्यवहार के द्योतक हैं। महिलाओं को अनैतिक कार्यों में धकेलने, महिलाओं/लड़कियों के उत्पीड़न, महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं कुछ ऐसे प्रतिकूल परिणाम हैं जिनके कारण लिंग अनुपात प्रभावित हुआ है। हर साल 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष अब महज एक परंपरा बन कर रह गया है जिसमें केवल भाषण होते हैं और दिखावे के संकल्प किए जाते हैं और जिनमें निर्धन या निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं/बच्चियों के लिए कोई जगह नहीं होती और उनकी हालत में कोई बदलाव नहीं आता। इसके बावजूद यह भी दिखता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से महिलाओं की हालत सुधरी है। सरकार ने भी संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक प्रावधानों के अधीन महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं और लैंगिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया है।

लैंगिक अनुपात घटने के कारण

लैंगिक अनुपात और महिलाओं के प्रति भेदभाव की मौजूदगी का कारण है हमारा सामाजिक ताना–बाना और महिलाओं को कमतर समझने की पारम्परिक सोच जो इस सब में बहुत गहरे तक अपनी जड़ें जमाए हुए है। एक वजह यह भी हो सकती है कि सामाजिक स्तर पर कभी सोचा ही नहीं गया कि आमतौर पर इस बारे में लोगों की क्या कोई ओर भी सोच हो सकती है। अतः उत्तर कहीं बाहर खोजने की बजाय हमारे सामाजिक ढांचे के भीतर से ही निकलेगा। कुछ कारण ये भी हैं :

पुरुष सन्तान : समाज में अधिकतर लोग (पुरुष/महिला) पहली संतान के रूप में लड़का चाहते हैं। उनकी सोच रहती है कि लड़के से वंश आगे बढ़ता है इसलिए पहला तो लड़का ही हो। कोई भी लड़की को पहली संतान के रूप में सोचता ही नहीं है।

सुरक्षा : लड़कियों की सुरक्षा की चिंता केवल उनके स्कूल/कॉलेज जाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि स्कूल और कॉलेज के अलावा घर और रिश्ते नातेदारी में भी यह चिंता बनी रहती है।

योग्य वर के लिए समाज से मिलने वाले कटु अनुभव : इस इलेक्ट्रॉनिक युग में भी लोग उन आने वाली कठिन स्थितियों को लेकर भयभीत रहते हैं जब अपनी विवाह योग्य कन्याओं के लिए योग्य और उपयुक्त वर ढूंढते समय उन्हें अपनी लड़की को कई संभावित दूल्हों और उनके परिवार जनों को दिखाना पड़ता है।

आर्थिक बोझ : भारत में सभी समाजों में कन्या का विवाह एक बहुत खर्चीला आयोजन होता है। लड़की के विवाह पर इस अत्यधिक खर्च का भय भी उन कारणों में से एक है जो घर में लड़की होने के विरुद्ध जाता है। अधिकतर लोग अभी भी लड़कियों को परिवार पर एक वित्तीय बोझ समझते हैं।

दहेज : यदि योग्य वर मिल भी जाए तो माता–पिता दहेज की मांगों को लेकर आशंकित रहते हैं और यह भी कि दिया गया दहेज भी लड़की की उसकी ससुराल में सामान और सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करता।

कार्यस्थल : माता–पिता लड़कियों की नौकरी के स्थान पर अपनी लड़कियों के साथ किए जाने वाले लैंगिक भेदभाव/उन्हें परेशान किए जाने को लेकर भी डरते हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जहां आज भी लड़कियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है।

लैंगिक भूमिकाएं : विस्तार से कहा जाए तो लैंगिक आधार पर ही समाज पुरुषों और महिलाओं के कार्य और भूमिका निश्चित करता है (भले ही हम चाहें या न चाहें) कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। पुराने समय से ही इसे परिभाषित करने के काम में ही भेदभाव बढ़ता गया जिसके कारण महिलाओं की स्थिति दोयम होती चली गयी। लोकाचारों और परम्पराओं ने भी इस भेदभाव को और बढ़ाया। अपने लिए लिंग के आधार पर निश्चित भूमिका के कारण ही संभवतः ऐसा हुआ हो क्योंकि उसे तो रसोई में खाना पकाने, कपड़े धोने, पशुओं की देखभाल करने, बच्चे पैदा करने व उन्हें पालने और ऐसे ही अन्य स्त्रियोचित कार्यों तक ही सीमित कर दिया गया भले ही वह पुरुषों के लिए निर्धारित कार्य भी करें। व्यक्तिगत प्रयासों, सरकार व अन्य विकासपरक संगठनों की पहल से ही इन परिस्थितियों में बदलाव लाया जा सकता है।

लैंगिक अनुपात में सुधार लाने के लिए सुझाव

यदि भारत लगातार नीचे गिरते हुए बाल लैंगिक अनुपात के रुझान को वास्तव में उलटना चाहता है और आगे चल कर भविष्य में इसे सुधारना चाहता है तो उसे महिलाओं को समाज में गौरवपूर्ण स्थान देना होगा और महिलाओं को कमतर समझने की पारम्परिक सोच से बचना होगा। जब वह अपने को समाज में सुरक्षित अनुभव करेगी तभी जीवन के सभी क्षेत्रों में उसकी भागीदारी लगातार बढ़ेगी जो न केवल उन्हें वरन उनके पतियों को भी अपने घर में लड़की होने के लिए अपने आप प्रेरित करेगा। लड़कियों की सुरक्षा के लिए हाल में ही शुरू किए गए बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ ही गंभीर रूप ले चुके महिला लिंग से जुड़े विषयों के समाधान की एक बहुआयामी नीति

भी आवश्यक है। समाज में महिलाओं के दर्जे को ऊपर उठाने और बाल लैंगिक अनुपात के रुझान को पलटने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री जन–धन योजना का केंद्रित कार्यान्वयन : लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए पहले ही शुरू की गई प्रधानमंत्री जन–धन योजना जिसमें 11.50 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं, में अब परिवार में महिलाओं के लिए एक अलग खाता खोलने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसे वह बिना किसी पारिवारिक दबाव के अपनी मर्जी से चला सकें। इससे परिवार में निर्णय लेने में उसकी सहयोगिता बढ़ेगी और माली हालत में भी सुधार होगा। बैंक वालों को स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से अथवा सीधे संपर्क से गांवों में शिविर लगाकर एक अभियान चलाकर केवल महिलाओं के बैंक खाते और खुलवाने होंगे।

महिला एसएचजी की स्थापना और उनके कौशल विकास/ उन्नयन का कार्य अब वर्तमान स्वयंसहायता समूहों को मजबूत करने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धन एवं मध्यम वर्ग से सम्बंधित महिलाओं के लिए शत–प्रतिशत महिला भागीदारी वाले नए स्वयंसहायता समूहों की स्थापना करने और अपनी आय बढ़ाने/आय के नए साधन जुटाने के लिए मूलभूत जांनकारी देने और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा जिससे कि परिवार की आय में वृद्धि करके महिलाएं परिवार में निर्णय लेने में अपनी सहभागिता बढ़ा सकें। इसे उस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका एवं आजीविका कौशल मिशन के अंतर्गत शुरू किया जाना चाहिए जिसे हाल में ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी डी यू–जी के वाई) नाम दिया गया है।

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन : यद्यपि देश भर में 'लड़की बचाओ' कार्यक्रम किसी न किसी रूप में चल रहे हैं तथापि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में संतान के लड़की होने या परिवार में दोनों ही संतान लड़कियां हों इसके लिए निर्धन दम्पतियों को और अधिक प्रोत्साहन देने होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ किया गया "बेटी–बचाओ–बेटी पढ़ाओ" अभियान अवश्य ही बाल लैंगिक अनुपात में वृद्धि पर अपना प्रभाव छोड़ेगा बशर्ते इसे केवल टीवी पर दिखाने और बस इसके बारे में बोलते रहने से हटकर सही भावना से चलाया जाए। लड़कियों के पक्ष में पारम्परिक मानसिक अवरोधों को तोड़ने/ सामजिक अवरोधों को हटाने के लिए कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। पहली संतान लड़की हो अथवा दोनों ही लड़कियां हों, इसके लिए निर्धन दम्पतियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने होंगे।

शिक्षा को बढ़ावा : शिक्षा को मुक्तिदाता और सशक्तिकरण का सबसे बड़ा औजार कहा जाता है। सभी लड़कियां जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं हैं, को ऊंची से ऊंची शिक्षा देने के लिए उदारता से छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। लड़कियों को उच्च शिक्षा मिल सके इसके लिए देश भर में स्थानीय प्रशासनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके लिए सुरक्षित रूप से स्कूल आने–जाने की व्यवस्था हो और दूरदराज में बने कॉलेजों तक पहुंचने और वापस आने के लिए विशेष सार्वजानिक परिवहन प्रणाली की व्यवस्था हो। चूंकि गांवों से शहरों या आसपास के

लिए सुरक्षित यात्रा के साधन नहीं हैं इसलिए माता–पिता अपनी लड़कियों को असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किए जाने के डर से उन्हें स्कूल/कॉलेज भेजने से बचते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए) तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए) और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (नेशनल हायर एजुकेशन मिशन) के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को यह सुविधाएं दी जानी चाहिए।

लड़कियों और कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल (आवास) सुविधाओं का प्रावधान तथा कामकाजी महिलाओं और अध्ययनरत लड़कियों के लिए होस्टल सुविधाओं का प्रावधान होने से माता–पिता के दिमाग से सुरक्षा का भय हटाने में सहायता मिलेगी और जिससे लड़कियों के पक्ष में सामजिक सोच में बदलाव लाना संभव हो सकेगा।

शिक्षा में कॉरपोरेट सेक्टर : कॉरपोरेट सेक्टर का जो कोष उपयोग नहीं हो पाता, को गाँवों से लड़कियों को स्कूल तक आने–जाने के लिए परिवहन सुविधाएं जुटाने के लिए काम में लाया जा सकता है। इसका प्रयोग लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए भी किया जा सकता है।

पौधारोपण : जैसाकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर कहा है कि हर ग्रामीण परिवार अपने यहां लड़की के जन्म लेने के समय एक पौधा लगाए जो उसके विवाह तक बड़ा होकर एक पेड़ बन जाता है जिसे बेचने से परिवार के लिए वित्तीय मदद मिलती है और जो मुक्ति का एक स्रोत बनता है।

शराब की दुकानें आबादी से दूर हो : नशाखोरी और मद्यपान महिलाओं के लिए एक दूसरा अभिशाप है। यदि उसका पति शराबी है तो उसे यह झेलना ही पड़ता है। जो कुछ भी ग्रामीण महिला कमाती है उसे उसका पति जबर्दस्ती शराब और धुंए में उड़ा देता है। सरकार को अपनी आबकारी (राजस्व) नीति में बदलाव करना होगा ताकि शराब की दुकानों को आबादी से पर्याप्त दूरी पर रखा जाए।

वर्तमान महिला कल्याण/विकास योजनाओं का सही कार्यान्वयन : किशोरियों/ लड़कियों की सुरक्षा हेतु चल रही सबला योजना को सही ढंग से क्रियान्वित करना होगा। महिलाओं को पर्याप्त और सामयिक लाभ पहुंचाने के लिए नयी योजनाएं शुरू करने के स्थान पर पहले से चल रही स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, साफ–सफाई, शिशु जन्म पूर्व एवं जन्म पश्चात देखभाल, रोजगार और सामजिक सुरक्षा की योजनाओं को समेकित और सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान : महिलाओं के गौरव, निजता और सुरक्षा हेतु प्रत्येक परिवार को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह अपने परिसर में एक निजी शौचालय बनवाए और स्कूलों तथा शैक्षिक संस्थाओं में पर्याप्त एवं स्वच्छ शौचालय बने हों। इसके अलावा महिलाओं के लिए अभी तक सामाजिक वर्जना बने मासिक धर्म प्रबंध को स्त्री–पुरुष दोनों को बताया जाना चाहिए।

वर्तमान विधिक (कानूनी) प्रावधानों को लागू किया जाना : छेड़छाड़, यौन शोषण, उत्पीड़न, बलात्कार, लड़कियों पर तेजाब डालने को रोकने और लड़कियों/महिलाओं को परेशान करने से बचाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) के वर्तमान प्रावधानों/अथवा अन्य प्रासंगिक कानूनों को तेजी से संशोधित किया जाना चाहिए और उन्हें सख्ती से सही समय पर लागू किया जाना चाहिए। प्रसव–पूर्व लिंग जांच तकनीक (पी एन डी टी) कानून और नियमों को सही तरीके से लागू करना चाहिए।

उपसंहार

भारत में बाल लैंगिक अनुपात में 1951 से लगातार गिरावट हुई है और केवल 1971 के बाद ही इसमें मामूली सुधार हुआ है। सामाजिक परिणामों को रोकने के लिए यदि लैंगिक अनुपात में सुधार लाना है और बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ को एक बड़ी सफलता बनाना है तो यह केवल नारे तक सीमित न रहे, इसे लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा हेतु बने कानूनों का सही सहारा भी मिले। चिकित्सक समुदाय को भी इस सामजिक उद्देश्य के लिए आगे आना होगा और उन्हें ऐसे चिकित्सकों का बहिष्कार करना होगा जो अनैतिक और गैर–कानूनी कार्यों को बढ़ावा देते हैं। लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट के आत्मसुरक्षा कार्यक्रम का प्रशिक्षण देने वाले कार्यक्रमों के आयोजन को मिशन मोड में चलाना होगा। लड़कियों के लिए बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ के साथ ही मीडिया और अन्य परस्पर संवाद के प्रभावोत्पादक सूचना शिक्षा संवाद (आई ई सी) कार्यक्रम चलें। लड़की के माता–पिता और उसके ससुराल वालों को कन्या संतान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नियमित एवं प्रभावी काउंसलिंग होनी चाहिए।

महिलाओं को बैंकिंग कार्यों से जोड़ने के लिए स्वयंसहायता समूहों की स्थापना और उन्हें आत्मनिर्भरता हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण लिंग अनुपात में सुधार के लिए बहुत दूर तक कारगर होगा। अब समाज को बदलाव के लिए इस दिशा में कुछ गंभीर प्रयास करना चाहिए। सुश्री शबाना आजमी ने जिसका यूं उल्लेख किया है "मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना या छात्रों के लिए कहीं पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं देखा" कि मेरे पिता रसोई में हैं और मेरी माँ दफ्तर में हैं या दोनों ही दफ्तर में हैं।

(डॉ. पूरन सिंह ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी हरियाणा में सहायक प्रोफेसर हैं एवं श्री अजय कुमार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी पानीपत (हरियाणा) में परियोजना अधिकारी हैं)

ई–मेल : psyadav59@rediffmail.com

(अनुवादः सुधीर तिवारी)